भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **2616**

(मंगलवार, **11** अगस्त, **2026/20** श्रावण, **1948 (**शक) को उत्तर के लए)

वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के माध्यम से भारत की सां व धक लेखापरीक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना

2616 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने भारत के सां व धक लेखापरीक्षा और जनहित से जुड़े निगरानी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लए, वशेषकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा एस्टोनिया द्वारा अपनाई गई वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की तुलनात्मक समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय डजिटल लेखापरीक्षा रजिस्ट्री, सां व धक लेखापरीक्षकों के लए अनिवार्य कू लंग-ऑफ अव ध, एआई-आधारित जो खम-आधारित निरीक्षण और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा तंत्रों जैसे सुधार लाने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) क्या सरकार कारपोरेट वत्तीय रिपोर्टिंग में निवेशकों का वश्वास, वत्तीय स्थिरता और जनता का वश्वास बढ़ाने के लए प्रौद्यो गकी-आधारित लेखापरीक्षा निगरानी, साइबर और फोरें सक लेखापरीक्षा मानक, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और पारद र्शता को सुदृढ़ करने के उपायों पर वचार कर रही है**?**

<u>उत्तर</u>

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): संयुक्त अरब अमीरात और एस्टोनिया के संबंध में ऐसी कोई व शष्ट तुलनात्मक समीक्षा नहीं की गई है। भारतीय संदर्भ में जहां कहीं भी प्रासं गक और उपयुक्त माना जाता है, वहां वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणा लयों की जांच की जाती है। राष्ट्रीय वत्तीय रिपोर्टिंग प्रा धकरण (एनएफआरए) इंटरनेशनल फोरम ऑफ इं डपेंडेंट ऑ डट रेगुलेटर्स (आईएफआईएआर) का सदस्य है, जो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, द क्षण अमेरिका, ए शया, ओ शनिया और यूरोप के **57** देशों के स्वतंत्र ऑ डट नियामकों से मलकर बना एक नकाय है। इस मंच के माध्यम से, सदस्य नियामक वश्व स्तर पर लेखा परीक्षा निरीक्षण और लेखा परीक्षा गुणवत्ता को मजबूत करने के लए समय-समय पर व्यावहारिक अनुभव और सर्वोत्तम कार्यप्रणा लयों तथा प्रावधानों पर जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।

(ख): **(i)** वर्तमान में, राष्ट्रीय डजिटल लेखा परीक्षा रजिस्ट्री शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथा प, ऑ डटर से संबं धत डेटा पहले से ही प्ररूप एडीटी-**1 (**कंपनियों द्वारा दायर ऑ डटर नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की सूचना), प्ररूप एडीटी-**3 (**ऑ डटर द्वारा दायर ऑ डटर इस्तीफे की सूचना), प्ररूप एनएफआरए-**1 (**कंपनियों के अलावा अन्य कारपोरेट नकायों द्वारा दायर ऑ डटर ववरण की सूचना) और प्ररूप एनएफआरए-**2 (**ऑ डटर द्वारा फाइल वा र्षक रिटर्न) के माध्यम से डजिटल रूप से एकत्र कया जा चुका है।

(ii) कंपनी अ धनियम, **2013** की धारा **139(2)** के अंतर्गत कंपनियों के वनिर्दिष्ट वर्गों के लए सां व धक लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षक फर्मों के अनिवार्य रोटेशन का प्रावधान पहले से ही कया गया है, जिसमें पुनर्नियुक्ति से पहले कू लंग-ऑफ अव ध शा मल है।

(iii) एनएफआरए जो खम आधारित ढांचे का उपयोग करते हुए शीर्ष लेखा परीक्षा फर्मों का वा र्षक लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण करता है। ये ऑ डट गुणवत्ता की समीक्षा के साथ-साथ ऑ डट फर्म के व्यापक शासन और गुणवत्ता तंत्र की समीक्षा के रूप में हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इं डया (आईसीएआई) भी जो खम-आधारित सहित व भन्न मानदंडों का उपयोग करते हुए लेखा परीक्षा गुणवत्ता समीक्षा करता है। एनएफआरए और आईसीएआई अपने काम में एआई के उपयोग की संभावना तलाश रहे हैं।

(ग): (i) कंपनी **(**लेखा**)** नियम**, 2014** में यह प्रावधान है क प्रत्येक कंपनी जो अपने बही-खातों को बनाए रखने के लए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है**,** उसे केवल ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए जिसमें प्रत्येक लेनदेन के ऑ डट ट्रेल को रिकॉर्ड करने**,** खाते की पुस्तकों में कए गए प्रत्येक परिवर्तन का एक संपादन लॉग बनाने की सु वधा हो**,** जिसमें परिवर्तन कए जाने की तारीख भी शा मल हो, और यह सुनिश्चित करना क ऑ डट ट्रेल को निष्क्रिय नहीं कया जा सकता है।

(ii) कंपनी अ धनियम**, 2013** में लेखा परीक्षा स्वतंत्रता और पारद र्शता को बढ़ावा देने के लए पहले से ही कई प्रावधान हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और रोटेशन से संबं धत धारा **139,** लेखा परीक्षकों की पात्रता और अपात्रता से संबं धत धारा **141,** धोखाधड़ी की सूचना देने और आंतरिक वत्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग सहित लेखा परीक्षकों की शक्तियों और कर्तव्यों से संबं धत धारा **143,** वनिर्दिष्ट गैर-लेखा परीक्षा सेवाओं पर प्रतिबंध से संबं धत धारा **144** और उल्लंघनों के लए दंड से संबं धत धारा **147** शा मल हैं। इसके अतिरिक्त**,** अ धनियम की धारा **143(11)** के तहत जारी कंपनी (ऑ डटर रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ)**, 2020** में कारपोरेट प्रशासन और वत्तीय रिपोर्टिंग से संबं धत निर्दिष्ट मामलों पर लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है।

(iii) कंपनी अ धनियम**, 2013** के अंतर्गत ऐसे कोई साइबर और फॉरें सक ऑ डट मानक जारी कए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

****